<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) अनुदान संख्या-43	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध/ अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय	1443.16	2.71	2.71	2.71	1440.45
योग-	**1443.16**	**2.71**	**2.71**	**2.71**	**1440.45**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय					
49-चिकित्सा व्यय	0	0.50	0.50	0.50	0.50
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0	0.04	0.04	0.04	0.04
57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	0	2.17	2.17	2.17	2.17
योग रू0 :	**0**	**2.71**	**2.71**	**2.71**	**2.71**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण प्रस्तावित मदों में भुगतान हेतु रू0 2.71 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है। इस हेतु राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय मद में रू0 2.71 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण प्रस्तावित मदों में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202-21 हेतु कोई बजट प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण रू0 2.71 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय ने कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज के ईमेल पत्र दिनांक 17-08-2020 को संलग्न कर अवगत कराया गया है कि मद संख्या-56 एवं 57 में बजट आबंटित होने के उपरान्त ही कोषागार द्वारा बिल पारित किये जायेंगे। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 30-04-2020 द्वारा रू0 59.04 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसमें मद संख्या-56 व 57 को भी प्रस्तावित किया गया। कतिपय कारणोवश इन मदों में पुनर्विनियोग स्वीकृत नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त मद संख्या-49 में कार्यरत विशेष कार्याधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों के निस्तारण हेतु धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय की मद संख्या-49, 56 व 57 में रू0 2.71 लाख का पुनर्विनियोग कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियेाग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-74/ई-9-यू0ओ0-1092/दस-2020, दिनॉक 30 सितम्बर, 2020

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(ओम प्रकाश सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-73/2020/3459/तीस-3-20-6बी/2014टीसी, दिनॉक 30 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।